न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 69 / 2011

पीठासीन अधिकारी   करतार सिंह पुनियाँ
RAS

1 श्रीमती मिश्रो बेवा अर्जुन।
2 हनुमान पुत्र अर्जुन।
3 रामेश्वर पुत्र अर्जुन।
4 रामकुमार पुत्र अर्जुन।
5 किशनलाल पुत्र अर्जुन समस्त जाति गुर्जरान निवासीगण ढ़ाणी गुजर वाली तन पपूरना तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलांट

बनाम

1 झाबर पुत्र सोहन जाति गुर्जर निवासी ढ़ाणी गुजर वाली तन पपूरना तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
2 देवी सहाय पुत्र रामसुख उम्र 75 वर्ष।
3 अजीत सिंह पुत्र लछमण उम्र 18 वर्ष।
4 विजेन्द्र सिंह पुत्र लछमण उम्र 18 वर्ष।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

5 सन्तोष देवी बेवा लछमण उम्र 65 वर्ष।
6 बिल्लों पुत्री लछमण उम्र 30 वर्ष।
7 मैना पुत्री लछमण उम्र 27 वर्ष।
8 कल्ला पुत्री लछमण उम्र 25 वर्ष।
9 सुमन पुत्री लछमण उम्र 23 वर्ष।
10 रेणू पुत्री लछमण उम्र 20 वर्ष।
11 श्योकरण पुत्र गोपाल उम्र 65 वर्ष।
12 सुन्दर पुत्र गोपाल उम्र 60 वर्ष।
13 शंकर पुत्र तेजा उम्र 55 वर्ष।
14 बनारसी बेवा मोहर सिंह उम्र 50 वर्ष।
15 मुला पुत्र मोहर सिंह उम्र 28 वर्ष।
16 श्योराम पुत्र मोहर सिंह उम्र 22 वर्ष।
17 पूर्ण पुत्र बीरबल उम्र 60 वर्ष।
18 सुल्तान पुत्र बीरबल उम्र 55 वर्ष।
19 सुणा पुत्र बीरबल उम्र 50 वर्ष।
20 बिड़दी पुत्री भगवाना उम्र 65 वर्ष।
21 शीशराम पुत्र भगवाना उम्र 35 वर्ष।
22 इन्द्राज पुत्र भगवाना उम्र 30 वर्ष।
23 जगरूप पुत्र भगवाना उम्र 28 वर्ष।
24 भजनलाल पुत्र भगवाना उम्र 25 वर्ष।
25 बनवारी पुत्र लादु उम्र 65 वर्ष।
26 ग्यारसी बेवा सरदारा उम्र 65 वर्ष।
27 उमराव पुत्र सरदारा उम्र 30 वर्ष।
28 उदमी पुत्र सरदारा उम्र 28 वर्ष।
29 राजेश पुत्र सरदारा उम्र 20 वर्ष।
30 औंकार पुत्र सरदारा उम्र 40 वर्ष।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

31 धनी पुत्री गंगाराम उम्र 60 वर्ष।
32 संध्या पुत्री गंगाराम उम्र 60 वर्ष।
33 जड़ाव पुत्री गंगाराम उम्र 58 वर्ष समस्त जाति गुर्जरान निवासीगण ढ़ाणी गुजरावली तन पपूरना तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
34 दड़की पुत्री गंगाराम उम्र 65 वर्ष।
34/1 ख्यालीराम पुत्र जीणाराम।
34/2 इन्द्राज पुत्र जीणाराम।
34/3 अशोक पुत्र जीणाराम।
34/4 रसीराम पुत्र जीणाराम।
34/5 सन्तोष पुत्री जीणाराम।
34/6 पांची पुत्री जीणाराम समस्त जाति गुर्जरान निवासीगण कालाखेड़ा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
35 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी उनवानी मुकदमा झाबर बनाम देवीसहाय आदि मु. नं. 257/2009 निर्णय व डिक्री दिनांक 25.05.2011 इस्तकरार हक दुरूस्ती रिकार्ड व हुक्म इम्तनाई दवामी

Laxo
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (केम्प झुन्झुनूं)

अपील संख्या 74/2011

1 श्रीमती मिश्रो बेवा अर्जुन।
2 हनुमान पुत्र अर्जुन।
3 रामेश्वर पुत्र अर्जुन।
4 रामकुमार पुत्र अर्जुन।
5 किशनलाल पुत्र अर्जुन समस्त जाति गुर्जरान निवासीगण ढ़ाणी गुजर वाली तन पपूरना तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 झाबर पुत्र सोहन जाति गुर्जर निवासी ढ़ाणी गुजर वाली तन पपूरना तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
2 देवी सहाय पुत्र रामसुख उम्र 75 वर्ष।
3 अजीत सिंह पुत्र लछमण उम्र 18 वर्ष।
4 विजेन्द्र सिंह पुत्र लछमण उम्र 18 वर्ष।
5 सन्तोष देवी बेवा लछमण उम्र 65 वर्ष।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

6 बिल्लों पुत्री लछमण उम्र 30 वर्ष।
7 मैना पुत्री लछमण उम्र 27 वर्ष।
8 कल्ला पुत्री लछमण उम्र 25 वर्ष।
9 सुमन पुत्री लछमण उम्र 23 वर्ष।
10 रेणू पुत्री लछमण उम्र 20 वर्ष।
11 श्योकरण पुत्र गोपाल उम्र 65 वर्ष।
12 सुन्दर पुत्र गोपाल उम्र 60 वर्ष।
13 शंकर पुत्र तेजा उम्र 55 वर्ष।
14 बनारसी बेवा मोहर सिंह उम्र 50 वर्ष।
15 मुला पुत्र मोहर सिंह उम्र 28 वर्ष।
16 श्योराम पुत्र मोहर सिंह उम्र 22 वर्ष।
17 पूर्ण पुत्र बीरबल उम्र 60 वर्ष।
18 सुल्तान पुत्र बीरबल उम्र 55 वर्ष।
19 सुणा पुत्र बीरबल उम्र 50 वर्ष।
20 बिड़दी पुत्री भगवाना उम्र 65 वर्ष।
21 शीशराम पुत्र भगवाना उम्र 35 वर्ष।
22 इन्द्राज पुत्र भगवाना उम्र 30 वर्ष।
23 जगरूप पुत्र भगवाना उम्र 28 वर्ष।
24 भजनलाल पुत्र भगवाना उम्र 25 वर्ष।
25 बनवारी पुत्र लादु उम्र 65 वर्ष।
26 ग्यारसी बेवा सरदारा उम्र 65 वर्ष।
27 उमराव पुत्र सरदारा उम्र 30 वर्ष।
28 उदमी पुत्र सरदारा उम्र 28 वर्ष।
29 राजेश पुत्र सरदारा उम्र 20 वर्ष।
30 औंकार पुत्र सरदारा उम्र 40 वर्ष।
31 धनी पुत्री गंगाराम उम्र 60 वर्ष।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (केम्प झुन्झुनूं)

32 संध्या पुत्री गंगाराम उम्र 60 वर्ष।
33 जड़ाव पुत्री गंगाराम उम्र 58 वर्ष समस्त जाति गुर्जरान निवासीगण ढ़ाणी गुजरावली तन पपूरना तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
34 दड़की पुत्री गंगाराम उम्र 65 वर्ष।
34/1 ख्यालीराम पुत्र जीणाराम।
34/2 इन्द्राज पुत्र जीणाराम।
34/3 अशोक पुत्र जीणाराम।
34/4 रसीराम पुत्र जीणाराम।
34/5 सन्तोष पुत्री जीणाराम।
34/6 पांची पुत्री जीणाराम समस्त जाति गुर्जरान निवासीगण कालाखेड़ा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
35 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी उनवानी मुकदमा झाबर बनाम देवीसहाय आदि मु. नं. 257/2009 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.01.2011 इस्तकरार हक दुरूस्ती रिकार्ड व हुक्म इम्तनाई दवामी

उपस्थित

1. श्री सुभाषचन्द अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री गोकुलचंद सैनी अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

–निर्णय–

दिनांकः–06.11.2018

यह दोनों अपीलें विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी द्वारा वाद संख्या 257/2009 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.05.2011 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनों अपीलों में विवादित भूमि एंव पक्षकार समान होने से दोनों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है निर्णय की प्रतियां दोनों पत्रावलियों में अलग–अलग रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी झाबर की और से भूमि खाता संख्या 34,89,355 वाके ग्राम रामकुमारपुरा तहसील खेतड़ी में 1/12 हिस्से का खातेदार घोषित करने एवं विभाजन का अनुतोष चाहा है विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री किया है। जिसके विरूद्व यह अपील प्रस्तुत हुई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 रिकार्डेड खातेदार नही है अजनबी है विचारण न्यायालय में वाद में विभाजन का अनुतोष नही चाहा है इस भूमि पर रेस्पोडेंट संख्या 1 का हक अधिकार कैसे हुआ यह विचारण न्यायालय ने विवेचित नही किया है। हमे सुनवाई का अवसर नही दिया गया है जमीन गिरवी रखी हुई है बैंकों को पक्षकार नही बना है। निर्णय व डिक्री रिकार्ड व अनुतोष से बाहर जाकर पारित की है उत्तराधिकार के सम्बंध में कोई

भू-अवाप्ति अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

रिकार्ड प्रस्तुत नही किया है। राजस्व रिकार्ड को प्रदर्शित नही करवाया है विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2017(1) पेज 689, ए.आई.आर. 1981 एस.सी. पेज 1400, आर.आर.टी. 2002(1) राजस्थान हाई कोर्ट पेज 648, आर.आर.टी. 2004(1) पेज 374 के न्यायिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किये है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विभाजन प्रस्ताव तैयार होने पर प्राथमिक डिक्री बनी है विचारण न्यायालय में जो प्रतिवादी थे उनके विभाजन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर है। इनकी सहमती से अंतिम डिक्री पारित हुई है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एंव विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में वादी ने घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। विचारण न्यायालय में वादी ने विभाजन का अनुतोष नही चाहा है विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय में प्रतिवादीगण की बावजुद सम्यक तामील अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई का अंकन किया है। विचारण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 26.11.2009 में अंकित है कि प्रतिवादी संख्या 30 से 34 की और से विजेन्द्र सैनी एडवोकेट ने वकालत नामा पेश किया इस तिथि के उपरान्त अंतिम डिक्री पारित करने तक अपीलांटस के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करने का कोई आदेश आदेशिका पर नही है। ऐसी स्थिति में पत्रावली के आदेशिका एवं विचारण न्यायालय के निर्णय में अपीलांट के सन्दर्भ में अंकित तथ्य परस्पर विरोधाभासी है। ऐसी स्थिति में

Lovo

मु.प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक व अंतिम डिक्री विधि सम्मत नही मानी जा सकती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन प्राथमिक व अंतिम डिक्री अपास्त की जाती है एंव प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुन निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 06.12.2018 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर